आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973
ऑनलाईन दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–02/2019–20

1. राजेश कुमार जायसवाल, पिता–श्री महादेव भगत, ग्राम–पुराना सुखदेव नगर थाना सुधा बजाज के सामने हेहल पण्डारा, राँची, पो०–हेहल, थाना–पण्डरा ओ०पी०, जिला राँची।..अपीलार्थी।

बनाम

1. झारखण्ड सरकार..द्वितीय पक्ष।

आदेश

02.06.2022

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–375 R27/2015-2016/सोनाहातु में दिनांक–09.04.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, थाना संख्या–48

खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	चौहदी
261	2003	08 डी०	उ०–सहायक रास्ता, द०–विक्रेता नीज, पू०–रोखोहरि साहु, प०–क्रेता नीज।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु उन्हें नोटिस निर्गत किया गया। अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित हुए। अपीलार्थी के आवेदन में संलग्न निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–375 R27/2015-2016/सोनाहातु का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि में राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार ''आवेदित प्लॉट की जमाबंदी खतियानी रकवा से अधिक चल रहा है'' अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त भूमि विक्रेतागण की खरीदगी भूमि है जिसे अपीलार्थी ने विक्रेतागण (1) श्री प्रदीप साहु वो (2) श्री संजय साहु दोनों के पिता–स्व० लालदेव साहु एवं (3) श्री सुनील कुमार साहु, पिता स्व० जगमोहन साहु से निबंधित केवाला सं०–235 द्वारा दिनांक–08.06.2015 को प्राप्त किया है। आवेदित प्लॉट की जमाबंदी खतियानी रकवा से अधिक का चलना सरासर गलत है। खतियान के अनुसार आवेदित प्लॉट का कुल रकवा 1.20 एकड़ है, एवं अपीलार्थी ने 1.20 एकड़ मध्ये 08 डीसमील भूमि क्रय किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस वाद को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
	अपीलार्थी की ओर से मूल केवाला प्रस्तुत किया गया किंतु मूल खतियान प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित प्लॉट की जमाबंदी खतियानी रकवा से अधिक चल रही है ऐसी स्थिति में नामांतरण हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह अपील वाद अस्वीकृत की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 02/06 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। 02/06 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.02.13 16:45:07 +05:30
Location: 10.93.79.19